ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

भाग-1

1 **(क) प्रस्तावना :-**

ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनांक 07.04.2016 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपे जाने के दृष्टिगत ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक के लेखों का अंकेक्षण कार्य हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया |

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान / सचिव कार्यरत रहे:-

प्रधान :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सुरेंदर कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

पंचायत सचिव:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री सरवन कुमार	01.04.2024 से 31.03.2025 तक

(ख) गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत भंजाल लोअर के लेखों अवधि 01.04.24 से 31.03.25 तक के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है :-

क्रम संख्या	पैरा संख्या	अनियमितताओं का संक्षिप्त सार	राशि (लाखों में)
1)	4.2	रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण आये अन्तर बारे		0.17

2)	4.3	स्वः स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में राशि की अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना।	0.59
3)	6.1	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष।	14.79
4)	7.1	पंचायत राजस्व गृहकर की वसूली शेष।	0.54
5)	7.2	विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि को सरकारी कोष में जमा न करवाना।	0.05
6)	8	गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोग।	0.09
7)	9.1	औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना निर्माण सामग्री का क्रय करना।	2.07
8)	9.2	खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना अनियमित भुगतान।	1.68
9)	9.4	स्त्रोत पर जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना।	0.16
10)	10	व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना।	0.41

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदनः-

1) गत अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि 04/2020 से 03/2022 तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या		
1.	पैरा-3	निर्णीत।	(अंकेक्षण शुल्क ₹7200 की वसूली बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA 327524 दिनांक 20.09.2022 द्वारा कर ली गई है)
2.	पैरा-4 (क, ख, ग व घ)	निर्णीत।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

3.	पैरा-4 (ङ)	अनिर्णीत।	
4.	पैरा-4 (च)	निर्णीत।	कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।
5.	पैरा-4.1	अनिर्णीत।	
6.	पैरा-5 (क, ख, ग व घ)	अनिर्णीत।	
7.	पैरा-6	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 7.1 में पु प्रारूपित।
8.	पैरा-7	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 6.1 में पु प्रारूपित।
9.	पैरा-8	अनिर्णीत।	
10.	पैरा-9	अनिर्णीत।	
11.	पैरा-10	अनिर्णीत।	
12.	पैरा-11	अनिर्णीत।	
13.	पैरा-12	अनिर्णीत।	
14.	पैरा-13	अनिर्णीत।	
15.	पैरा-14	अनिर्णीत।	
16.	पैरा-15	अनिर्णीत।	
17.	पैरा-16	अनिर्णीत।	
18.	पैरा-17	अनिर्णीत।	
19.	पैरा-18	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में पुन प्रारूपित।
20.	पैरा-19	अनिर्णीत।	
21.	पैरा-20	अनिर्णीत।	
22.	पैरा-21	अनिर्णीत।	
23.	पैरा-22	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 12 में पुन: प्रारूपित।

24.	पैरा-23	अनिर्णीत।	
25.	पैरा-24	अनिर्णीत।	
26.	पैरा-25	निर्णीत।	वर्तमान अंकेक्षण प्रतिवेदन के पैरा संख्या 13 में पुनः प्रारूपित।

भाग-2

2 वर्तमान अंकेक्षण :-

ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री देव राज, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 02/08/2025 से 11/08/2025 तक ग्राम पंचायत कार्यालय में किया गया। आय व्यय की विस्तृत जांच हेतू मास चयन निम्न तालिका के अनुसार स्वः स्त्रोतों की आय तथा पंचायत के कुल व्यय के आधार पर किया गया :-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2024-25	09/2024	03/2025

अस्वीकरण :- "इस अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के नियन्त्रण अधिकारी द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी गलत सूचना / अभिलेख के अपूर्ण / गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतू हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा"

3 अंकेक्षण शुल्क :-

ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना के अवधि 01/04/24 से 31/03/25 तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क **₹4000** आंका गया। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट / मल्टीसिटी चैक के माध्यम से निदेशक, हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित करने हेतू अंकेक्षण अधियाचना संख्या 465/2025 दिनांक 11/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में ग्राम पंचायत भंजाल लोअर द्वारा काँगड़ा केन्द्रीय सहकारी बैंक सीमित मुबारकपुर के बैंक ड्राफ्ट संख्या KAA

327657 दिनांक 13/08/2025 द्वारा उक्त राशि को निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग शिमला-9 को प्रेषित कर दिया गया |

4.1 (क) वित्तीय स्थिति:-

सचिव, ग्राम पंचायत भंजाल लोअर द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025 दिनांक 04/08/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार पंचायत के अवधि 04/24 से 03/25 के लेखों की **संकलित वित्तीय स्थिति** निम्न प्रकार से थी, जिसका विस्तृत विवरण **सलंग्न परिशिष्ट "क"** पर दिया गया है | ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान तीन रोकड़ बहियों अर्थात् स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित रोकड़ बही) Online, स्वच्छ भारत मिशन (SBM) Online व मनरेगा (online) का रख-रखाव किया गया था।

संकलित वित्तीय स्थिति (15वां वित्तायोग सहित समेकित)						
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
क्रम संख्या	**वर्ष**	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**आय ब्याज सहित (₹)**	**कुल योग (₹) (3+4)**	**व्यय (₹)**	**अंतिम शे (₹) (5-6**
1	2024-25	5652700.6	5564813.14	11217513.74	6553256.44	4664257.3

नोट:- 14वें व 15वें वित्तायोग शीर्ष का अवधि 01.04.2024 से 31.03.2025 तक का अंकेक्षण, ऑडिट ऑनलाइन पोर्टल (auditonline.gov.in) के माध्यम से किया गया है, जिससे सम्बन्धित अंकेक्षण आपत्तियां भी ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज की जा चुकी है |

(ख) बैंक समाधान विवरणी :-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत भंजाल लोअर के अंकेक्षण अवधि के अंत में दिनांक 31.03.25 को **निम्नानुसार** रोकड़ बही तथा बैंक खातों में राशि **₹17472.00** का अन्तर था :-

1)	दिनांक 31.03.25 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1(क) का अंतशेष	4664257.30
2)	दिनांक 31.03.25 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1 अनुसार)**	**4646785.30**
3)	दिनांक 31.03.25 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**4646785.30**
5)	**अन्तर (1-4)**	**17472.00**

रोकड़ बहियों व बैंक शेष अनुसार अंतर	
स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वें वित्तायोग शीर्ष के अतिरिक्त समेकित) रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर	**17489.70**
15वें वित्तायोग शीर्ष की रोकड़ बही व बैंक शेष में दिनांक 31.03.2025 को अंतर	**-17.70**
कुल अंतर	**17472.00**

4.2 रोकड़ बही का बैंक खातों से नियमानुसार मिलान न करने के कारण राशि ₹0.17 लाख का अन्तर पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(3) व 10(1) के अनुसार पंचायत की रोकड़ बही के शेषों का बैंक खातों के शेष से मिलान करना अनिवार्य है | जबकि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के दौरान रोकड़ बही व बैंक खातों का मिलान नहीं किया गया था, जिस कारण से दिनांक 31.03.25 को **निम्न विवरणानुसार** शीर्षों की रोकड बहियों एवं बैंक के अंतिम शेष में राशि **₹17489.70** का अन्तर पाया गया | अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 444/2025, दिनांक 04/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/03 दिनांक 11/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत आगामी अंकेक्षण पर अवगत करवा दिया जाएगा | अत: उक्त अंतर की राशि के कारणों बारे अभिलेख से पड़ताल करने उपरांत अनुपालना से अंकेक्षण पर अवगत करवाया जाए |

1	2	3	4	5
क्रम संख्या	**रोकड़ बही का नाम**	**दिनांक 31.03.2025 को ऑनलाइन रोकड़ बही का अन्तशेष**	**दिनांक 31.03.2025 को बैंक व हस्तगत शेष का योग**	**अन्तर (3-4)**
1	स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग के अतिरिक्त समेकित)	1478824	1461334.30	17489.70

4.3 स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही में राशि ₹0.59 लाख की अनुचित / असमर्थित समायोजन प्रविष्टियाँ पाया जाना :-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 10 के अनुसार ग्राम पंचायत खाता से प्रत्येक आहरण, प्राप्ति की ओर तथा निक्षेप संवितरण की ओर रोकड़ बही में शीघ्रता: से प्रविष्टि की जाएगी व उक्त खातों की पासबुक(कें) बनाई जाएंगी।

अंकेक्षण के दौरान स्व: स्त्रोत व अनुदान (15वां वित्तायोग सहित समेकित) रोकड़ बही के अवलोकन पर पाया गया कि रोकड़ बही में राशि **₹59210** की आय पक्ष में प्रविष्टियां दर्ज की गई थी, जिसका विवरण **निम्न तालिका** अनुसार है, जिसके समर्थन में कोई बिल / समर्थित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किया गया व बैंक पासबुक से मिलान करने पर भी इस प्रकार का कोई लेन-देन नहीं पाया गया, जिस कारण उक्त प्रविष्टियाँ अनुचित / असमर्थित प्रतीत होती हैं :-

क्रम संख्या	**वाउचर संख्या**	**दिनांक**	**रोकड़ बही अनुसार प्राप्ति / भुगतान का विवरण**	**राशि (₹)**	**टिप्पणी**
1	5THSFC/2024-25/R/10	07.09.2024	HONORARIUM PRI	36200	उक्त राशि रोकड़ बही के आय पक्ष में दर्ज की गई थी, जिसकी क्रेडिट प्रविष्टि बैंक पासबुक में दर्ज नहीं पाई गई।
2	OWN/2024-25/R/9	30.12.2024	INTT.	15410	यथोपरि
3	OWN/2024-25/R/10	19.12.2024	MARRIAGE FEES	600	यथोपरि
4	OWN/2024-25/R/11	10.03.2025	MARRIAGE FEES	3800	यथोपरि
5	OWN/2024-25/R/12	10.03.2025	HOUSE TAX	400	यथोपरि
6	OWN/2024-25/R/15	20.03.2025	HOUSE TAX	400	यथोपरि
7	OWN/2024-25/R/16	20.03.2025	MARRIAGE FEES	2400	यथोपरि
			योग	**59210**	

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 443/2025, दिनांक 04/08/2025 के प्रत्युत्तर में अपने पत्र संख्या GPBL/03, दिनांक 11/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को त्रुटी स्वीकार करते हुए बताया गया कि केवल रोकड़ बही का बैंक से मिलान करने हेतु उक्त प्रविष्टियाँ रोकड़ बही में दर्ज की गई थी, जबकि वास्तव में उक्त राशि की प्राप्ति / भुगतान नहीं किया गया है | उत्तर संतोषजनक नहीं है | अत: इस अनियमितता बारे विभागीय स्तर पर रोकड़ बही की विस्तृत जाँच की जाए व तथ्यपूर्ण वस्तुस्थिति स्पष्ट करते हुए तदानुसार कृत अपेक्षित अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

4.4 स्व: स्त्रोत निधि के लिए स्वतंत्र खाते का संचालन न करना:-

हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 4(1) की अनुपालना में पंचायत निधियों के लिए स्वतंत्र खाता "क" (स्व: स्त्रोतों के लेन देन हेतु) खोला जाना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि स्व: स्त्रोत / सामान्य निधि व अन्य निधियों का संचालन एक ही बैंक खाते द्वारा किया जा रहा है | अत: खाता "क" के लिए स्वतंत्र रूप से बैंक खाते के साथ रोकड़ बही का संचालन न किए जाने के कारण पंचायत की स्व: स्त्रोतों की वित्तीय स्थिति को अंकेक्षण प्रतिवेदन में दर्शाया जाना सम्भव नहीं हो सका |

5 सावधिक निवेश :-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025, दिनांक 04/08/2025 की अनुपालना में पंचायत सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/01, दिनांक 11/08/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार पंचायत का अवधि 04/24 से 03/25 तक सावधि जमा योजना में निवेश शून्य था | अत: पंचायत सचिव को परामर्श दिया जाता है कि स्वयं स्त्रोत तथा अनुदान से सम्बन्धित रोकड़ बहियों का अलग-अलग रख-रखाव करके, स्वयं स्त्रोत में आवश्यकता से अधिक पड़ी राशि को हि०प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 11 के अनुसार सावधि जमा योजना में निवेशित किया जाना सुनिश्चित किया जाए ताकि ग्राम पंचायत को ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय प्राप्त हो सके। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए |

6 अनुदान

6.1 अनुदान राशि ₹14.79 लाख उपयोग हेतु शेष :-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 के अनुसार पंचायत द्वारा प्राप्त विभिन्न अनुदानों को फंडिंग एजेंसी के दिशा निर्देशों अनुसार व्यय

किया जाना अपेक्षित है । पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025, दिनांक 04/08/2025 के प्रत्युतर में प्रस्तुत सूचना जोकि **[परिशिष्ट क]** पर सलंग्न है, के अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक अनुदान (15वें वित्तायोग के अतिरिक्त) में स्वः स्त्रोत सहित प्राप्त राशियों में **₹1478824.00** की राशि उपयोग हेतू शेष थी | ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतू प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय करना अपेक्षित है । अतः उक्त वर्णित अनुपयुक्त अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्य हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

6.2 अनुदानों के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 88 के अनुसार पंचायत को दिए गए अनुदानों का उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जा सकता है, जिसके लिए अनुदान मंजूर किए गए हैं एवं उस अधिकारी को जिसने अनुदान मंजूर किए हैं, को उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है | इस सन्दर्भ मे जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025, दिनांक 04/08/2025 के प्रतिउत्तर में सचिव द्वारा पत्र संख्या GPBL/01, दिनांक 11/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि विभिन्न अनुदानों के व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण पत्र आगामी अंकेक्षण में जाँच हेतू प्रस्तुत कर दिए जाएंगे | अतः अपेक्षित कार्यवाही करके अनुपालना शीघ्र अंकेक्षण को दिखाई जाए।

6.3 अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न करवाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान,व भत्ते) नियम 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव अंकेक्षण को अपेक्षित अभिलेख उपलब्ध करवाने हेतु जिम्मेवार होगा । अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025, दिनांक 04/08/2025 द्वारा मांगी गई सूचना के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPBL/01, दिनांक 11/08/2025 द्वारा अवगत करवाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि में प्राप्त किए गए अनुदानों के आदेश / स्वीकृति पत्र पंचायत में प्राप्त नही हुए हैं तथा खण्ड विकास अधिकारी कार्यालय द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत मौखिक रूप में अनुदानों के प्रयोजन बारे सूचित किया जाता है । यह एक अनुचित प्रक्रिया है क्योंकि लिखित रूप में अनुदान का प्रयोजन प्राप्त न होने के कारण अनुदानों के दुर्विनियोजन की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता । अतः अनुदान के आदेश / स्वीकृति पत्र की प्रति उपलब्ध न होने के कारण यह ज्ञात नहीं हो सकता कि पंचायत द्वारा प्राप्त किए गए अनुदान किस

उद्देश्य / कार्य विशेष के लिए प्राप्त किए गए थे | अतः उक्त आदेश / स्वीकृति पत्र खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय से प्राप्त करके अंकेक्षण में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

स्वः स्त्रोत आय

7.1 पंचायत राजस्व राशि ₹0.54 लाख की वसूली हेतु शेष :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 33 के अनुसार पंचायत को सम्पत्ति कर / गृहकर की वसूली करना अपेक्षित था | पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025, दिनांक 04/08/2025 के क्रम संख्या 4 के प्रतिउत्तर में अपने पत्र संख्या GPBL/01, दिनांक 11/08/2025 द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना का अवलोकन करने पर पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2025 तक पंचायत राजस्व गृहकर की राशि **₹53890 (परिशिष्ट ख अनुसार)** वसूली हेतू शेष थी :-

वर्ष	**प्रारम्भिक शेष (₹)**	**मांग (₹)**	**योग (₹)**	**प्राप्ति (₹)**	**वसूली हेतू शेष राशि (₹)**
2024-25	238890	65400	304290	250400	53890

अतः गृहकर की राशि की वसूली न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व इसकी वसूली करके कृत अनुपालना अंकेक्षण को दिखाई जाए।

7.2 विवाह पंजीकरण शुल्क की राशि ₹0.05 लाख को सरकारी कोष में जमा न करवाना :-

सचिव, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, हिमाचल प्रदेश की अधिसूचना संख्या-SJE-A-A-(3)-1/2015 दिनांक 04.10.16 के अंतर्गत विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में ₹200 प्रति पंजीकरण तथा देरी के लिए दोगुनी दर से पंजीकरण शुल्क प्राप्त किया जाना निर्धारित है, जिसे समय- समय पर वसूल करने के उपरान्त हि० प्र० विवाह पंजीकरण नियम, 2004 के नियम 9 के अनुसार राजकीय कोष में निर्धारित लेखा शीर्ष 0070-60-108-01 में जमा करवाया जाना अपेक्षित है। लेकिन अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में राशि **₹5400 सलंग्र परिशिष्ट "ग" अनुसार** वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा नहीं करवाया गया था जिसका विवरण नीचे भी दिया गया है :-

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि (₹)
1	2024-25	5400

अत: इस सम्बन्ध में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 448/2025, दिनांक 04/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/03, दिनांक 11/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया कि विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि को सरकारी कोष में जमा करवा दिया जाएगा। अतः विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई सम्पूर्ण राशि को शीघ्र अति शीघ्र सरकारी कोष में जमा करवाया जाना सुनिश्चित किया जाए व कृत अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

8 गृहकर /विवाह पंजीकरण शुल्क से राशि ₹0.09 लाख की प्राप्त आय का सम्भावित दुरूपयोगः-

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 दौरान **निम्न विवरणानुसार** व उपलब्ध करवाई गई रसीदों के अनुसार गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में **₹8700** की राशि प्राप्त की गई दर्शाई थी, लेकिन उक्त राशि को न तो रोकड़ बही के रोकड़ शेष में दर्शाया गया था तथा न ही बैंक में जमा करवाया गया था| फलस्वरूप उक्त **₹8700** की राशि का दुरूपयोग किया गया प्रतीत होता है। अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 445/2025, दिनांक 04/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/03, दिनांक 11/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित रोकड़ बही में कम व बैंक में कम जमा की गई राशि **₹8700** को अंकेक्षण आपत्ति उपरांत सम्बन्धित निधि के बैंक खाते में दिनांक 05.08.2025 को जमा करवा दिया गया है| जिसकी जमा बारे पुष्टि बैंक पासबुक से अंकेक्षण दौरान कर ली गई है|

क्रम संख्या	रसीद संख्या व माह	गृहकर / विवाह पंजीकरण शुल्क से प्राप्त राशि (₹)	बैंक में जमा करवाई गई राशि (₹)	बैंक में कम जमा करवाई गई राशि (₹)	टिप्पणी
1	108101 से 108200, 107701 से 107770, 108201 से 108300, 107501 से 107600,	186900	185000	1900	

	108501 से 108600 09/2024				
2	107346, 107348, 107349	600	0	600	उक्त राशि को रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दिनांक 19.12.24 को दर्ज किया गया था, परन्तु दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया था।
3	107350 से 107351, 107353 से 107354, 107361 से 107371	4400	0	4400	राशि 3800 को रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दिनांक 10.03.25 को दर्ज किया गया था, परन्तु दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया था।
4	107352	400	0	400	उक्त राशि को रोकड़ बही के बैंक कॉलम में दिनांक 10.03.25 को दर्ज किया गया था, परन्तु दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि को बैंक में जमा नहीं करवाया गया था।

5	778759 से 778764	1400	0	1400	उक्त राशि को रोकड़ बही के बैंक कॉलम मे दिनांक 20.03.25 को राशि 2400 के साथ दर्ज किया गया था, परन्तु दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि को बैंक मे जमा नहीं करवाया गया था।
			योग	**8700**	

9.1 औपचारिकताओं को पूर्ण किए बिना राशि ₹2.07 लाख की निर्माण सामग्री का क्रय करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट लेखे, सकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 67(4) व 67(5) द्वारा स्टॉक / स्टोर का क्रय करने की औपचारिकताएं प्रावधित हैं | व्यय वाउचरों के अंकेक्षण में पाया गया कि स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष के अन्तर्गत पंचायत द्वारा **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹207098** की सामग्री का क्रय निविदाएँ मूल्य उदाहरण (quotation) आमंत्रित किए बिना ही किया गया था, जोकि उक्त नियमों के अनुसार न होने के कारण अनियमित व आपत्तिजनक है । अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 450/2025 दिनांक 06/08/2025 के प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/03, दिनांक 11/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित अनियमितताओं को भविष्य में नहीं दोहराया जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है क्योंकि उक्त क्रय के सन्दर्भ में किया गया भुगतान नियमों के विपरीत है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से नियमित करवाया जाए। अत: पंचायत को परामर्श दिया जाता है कि भविष्य में नियमानुसार ही सामग्री का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	टिप्पणी
1	SF	P/45	शून्य	Balram Singh S/O Sh. Sukh dev Singh	चायपान	10500	उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था।
2	SF	P/47	371 20.10.2024	SHRI KRISHNA TRADERS VPO LOWER BHANJAL	PVC PIPES	10000	
3	SF	P/52	शून्य	KIRAN KUMAR S/O KISHAN CHAND	चायपान	4725	उचित बिल प्राप्त न करके केवल कोरे कागज पर बिल बनाकर भुगतान किया गया था।
4	SF	P/56	037 14.11.24	M/S RANJEET KAUR VPO KADH	ढुलाई	14656	
5	SF	P/57	014 14.11.24	CHANDER MOHAN & SONS VPO KADH	MIXTURE	3600	
6	SF	P/58	038 01.12.24	M/S RANJEET KAUR VPO	ढुलाई	25050	

				KADH			
7	SF	P/59	015 1.12.24	CHANDER MOHAN & SONS VPO KADH	MIXTURE	5600	
8	SF	P/62	140 1.01.25	ARUN KUMAR WELDING WORKS	IRON FRAM	7700	
9	SF	P/64	1045 18.01.25	DARSHAN TRADERS	STATIONER Y	1660	
10	SF	P/65	1477 21.01.25	AV COMPUTER SERVICE GAGRET	कंप्यूटर सामग्री	4814	
11	SF	P/67	040 25.01.25	M/S RANJEET KAUR VPO KADH	ढुलाई	18670	
12	SF	P/68	017 25.01.25	CHANDER MOHAN & SONS VPO KADH	MIXTURE	4250	
13	SF	P/73	142-144 14.02.25,	ARUN KUMAR WELDING WORKS	IRON SHEETS	70973	
14	SF	P/74	041 15.02.25	M/S RANJEET	ढुलाई	9760	

				KAUR VPO KADH			
15	SF	P/78	927 02.02.25	SHARMA BARTAN BHANDAR	वर्तन	3290	
16	SF	P/81	1563 25.02.25	YADVINDER HARDWARE NAKROH	TOOL	6000	
17	SF	P/82	शून्य	Balram Singh S/O Sh. Sukh dev Singh	चायपान	5850	
					योग	**207098**	

9.2 खनन सामग्री के समर्थन में ट्रांजिट पास फॉर्म प्राप्त किए बिना ₹1.68 लाख की राशि का अनियमित भुगतान:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम 2015 के नियम 81 व 81-ए के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास "फार्म डब्ल्यू" या सप्लीमेंटरी पास "फार्म एक्स" उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी के साथ करना होगा। परन्तु निदेशक, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या एक्स ई.एन. (आर.डी.एवं पी. आर.)-डी.बी. जनरल/2023-1/204192/2023-34307-30 दिनांक 02.11.2023 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय हि० प्र० के आदेशों की अनुपालना में अब ठेकेदार / विक्रेता से खनन सामग्री की आपूर्ति पर रॉयल्टी कि कटौती नहीं की जाएगी तथा भुगतान उनके द्वारा फार्म 'एक्स' या 'डब्लयू' प्रस्तुत करने पर ही किया जाएगा।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹168229.00** की निर्माण सामग्री रेत, बजरी व पत्थर इत्यादि के बिलों के साथ उक्त फार्म सलंग्न नहीं थे | अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना

संख्या 449/2025 दिनांक 06/08/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPBL/03, दिनांक 11/08/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण उक्त ट्रांजिट पास फार्म डब्ल्यू या सप्लीमेंटरी पास फार्म एक्स सम्बन्धित आपूर्तिकर्ता से नहीं लिए गए हैं, जिन्हें भविष्य में नियमानुसार लेकर ही भुगतान किया जाएगा | उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ट्रांजिट पास की अनुपस्थिति में आपूर्तिकर्ता को किया गया सम्पूर्ण भुगतान नियमों के विपरीत एवं अनियमित प्रतीत होता है |

अत: राशि **₹168229.00** की राशि अनियमित भुगतान को या तो न्यायोचित ठहराया जाए अथवा किसी भी प्रकार के संशय की स्थिति में इस प्रकरण को सम्बन्धित जिला खनन अधिकारी से उठाते हुये तदानुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाये।

क्रम संख्या	**योजना**	**कार्य का नाम**	**बिल संख्या /दिनांक**	**आपूर्तिकर्ता**	**सामग्री**	
1	SF	नि रास्ता लेख राज के घर से जोगियां दी हट्टी	5441 2/11/24	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी बजरा	23647.00
2	SF	नि रास्ता गवर्मेंट ट्यूबेल से शाम लाल के घर तक	5479 15/11/24	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी बजरा	45495.00
3	SF	अप्वर्धन शमशान घाट वाॅर्ड न 1,2	5588 10/01/25	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी बजरा	37195.00
4	SF	अप्वर्धन शमशान घाट वार्ड न 1,2	5727 01/02/25	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी बजरा	21496.00
5	SDP	नि लिंक रोड आबादी अजित सिंह से आबादी तरसेम सिंह तक	6057 16/03/25	M/S Nainika Stone Crusher	रेत, बजरी	40396.00
					योग	**168229.00**

9.3 राशि ₹1.01 लाख सामग्री की स्टॉक प्रविष्टियाँ न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 69 और 72 के अनुसार स्टॉक रजिस्टर का रख-रखाव व स्टोर / स्टॉक की प्राप्ति व खपत सम्बन्धी अभिलेख तैयार किया जाना अपेक्षित है। परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 के चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार** राशि **₹101147** की सामग्री का क्रय किया गया था, लेकिन उक्त क्रय किए गए सामान की स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत / जारी करने से सम्बन्धित अभिलेख दर्ज नहीं था | उपरोक्त प्रकरण अंकेक्षण अधियाचना संख्या 451/2025, दिनांक 06/08/2025 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत के ध्यानार्थ लाया गया | प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/03, दिनांक 11/08/2025 द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त स्टॉक प्रविष्टियाँ स्टॉक रजिस्टर में कर ली जाएगी | अत: वांछित अभिलेख तैयार न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व उक्त सम्पूर्ण क्रय की गई सामग्री की सम्बन्धित स्टॉक रजिस्टरों में स्टॉक प्राप्ति प्रविष्टियाँ व खपत से सम्बन्धित अभिलेख तैयार करने के उपरांत सत्यापनार्थ हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जाए |

क्रमांक	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या व माह	बिल संख्या व दिनांक	फर्म / व्यक्ति का नाम एवं पता	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)
1	SF	P/47	371 20.10.2024	SHRI KRISHNA TRADERS VPO LOWER BHANJAL	PVC PIPES	10000
2	SF	P/62	140 1.01.25	ARUN KUMAR WELDING WORKS	IRON FRAM	7700
3	SF	P/64	1045 18.01.25	DARSHAN TRADERS	STATIONERY	1660
4	SF	P/65	1477 21.01.25	AV COMPUTER SERVICE GAGRET	कंप्यूटर सामग्री	4814
5	SF	P/73	142-144 14.02.25,	ARUN KUMAR WELDING WORKS	IRON SHEETS	70973

6	SF	P/81	1563 25.02.25	YADVINDER HARDWARE NAKROH	TOOL	6000
					योग	**101147**

9.4 स्त्रोत पर राशि ₹0.16 लाख की जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती न करना :-

हिमाचल प्रदेश जी.एस.टी. अधिनियम, 2017 की धारा 51 तथा हि.प्र. आवकारी एवं कराधान विभाग के पत्र संख्या 12-4/78 EXN-TAX-Part(278/25)-29056 दिनांक 29/09/2018 के अनुसार किसी भी व्यक्ति / फर्म / संस्था / स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी विभाग (Person/HUF/Firm/Local authority / Govt. Deductor) द्वारा संविदाकार व्यक्ति, फर्म को सेवाएं तथा वस्तुएं प्रदान करने के बदले एक वित्तीय वर्ष में ₹250000 से अधिक राशि के भुगतान पर 2% (1% सी.जी.एस.टी. + 1% एस.जी.एस.टी.-अन्तर्राज्यीय आपूर्ति तथा 2% आई.जी.एस.टी.-अंतर्राज्यीय आपूर्ति) की दर से जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती सम्बन्धित व्यक्ति / फर्म / संविदाकार को नगद अथवा बैंक खाते में अदायगी के समय की जानी अपेक्षित है तथा उक्त कटौती की राशि को अगले माह 10 तारीख से पहले सम्बन्धित विभाग में जमा करवाया जाना अपेक्षित है | परन्तु अंकेक्षण दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में आपूर्तिकर्ताओं को सामग्री की आपूर्ति के लिए **परिशिष्ट "घ"** पर उपलब्ध करवाई गई सूचना अनुसार **राशि ₹806258.50** (जी.एस.टी. को छोडकर) भुगतान किया गया था | लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा स्त्रोत पर राशि **₹16125.17** की 2% जी.एस.टी. टी.डी.एस. के रूप में कटौती नहीं की गई थी जोकि नियमानुसार अनुचित प्रक्रिया है |

क्रम संख्या	वित्तीय वर्ष	फर्म / व्यक्ति का नाम	क्रय सामान का विवरण	राशि (₹)	योग (₹)	जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती योग्य राशि (2%)
1	2024-25	M/s Nainika Stone Crusher VPO Kadh	Sand, Agg.	403626.50	403626.50	8072.53
2	2024-25	Arun Kumar Welding Works	Benches	402632	402632	8052.64
				योग	**806258.5**	**16125.17**

अत: इस सन्दर्भ में जारी अंकेक्षण अधियाचना संख्या 439/2025 दिनांक 04/08/2025 के प्रत्युत्तर में पत्र संख्या GPBL/03, दिनांक 11/08/2025 द्वारा अंकेक्षण में स्पष्ट किया गया कि उक्त पत्र में वर्णित राशि **₹16125.17** जी.एस.टी. टी.डी.एस. की कटौती बिलों में से नहीं की गई है, जिसे भविष्य में नियमानुसार काटा जाएगा | उत्तर संतोषजनक नहीं है । अत: जी.एस.टी.टी.डी.एस. की कटौती न करने का औचित्य स्पष्ट किया जाए व अपेक्षित राशि की वसूली सम्बन्धित फर्मो / व्यक्तियों से करने उपरान्त सम्पूर्ण राशि सम्बन्धित विभाग में जमा करवाई जाए। अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

10 राशि ₹0.41 लाख के व्यय के समर्थन से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण में प्रस्तुत न करना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79 (2) के अनुसार पंचायत सचिव द्वारा अंकेक्षण को पंचायत लेखों से सम्बन्धित उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करना अपेक्षित है | अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा चयनित माह 03/2025 में **निम्न विवरणानुसार** स्व: स्त्रोत व अनुदान (समेकित) शीर्ष से करवाए गए कार्य हेतु प्रयोग की गई सामग्री के लिए बिलों व मस्ट्रोलों के अन्तर्गत राशि **₹40590** का भुगतान किया गया था | उपरोक्त उल्लेखित कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका अंकेक्षण अधियाचना संख्या 452/2025, दिनांक 06/08/2025 द्वारा सत्यापना हेतू अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की गई, जिसके प्रत्युत्तर में सचिव द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/03 दिनांक 11/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि उक्त कार्य से सम्बन्धित माप पुस्तिका सत्यापना हेतु आगामी अंकेक्षण में प्रस्तुत कर दी जाएगी। नियमानुसार अंकेक्षण में अभिलेख प्रस्तुत न करना अनियमित व आपत्तिजनक है | अत: किए गए कार्य के मुल्यांकन की जाँच अंकेक्षण दौरान सम्भव न हो सकी है | अतः अपेक्षित अभिलेख शीघ्र अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।

क्रम संख्या	**शीर्ष**	**कार्य का नाम**	**बिल / मस्ट्रोल संख्या व दिनांक**	**सामग्री**	**राशि (₹)**
1	Own / GIA	C/o Hatt, Toilet near Talab	92172 28.03.25	Cement	38590

2	Own / GIA	C/o Hatt, Toilet near Talab	119 28.03.25	Carriage	2000
				योग	**40590**

11 अग्रिम राशि ₹0.39 लाख समायोजन हेतू शेष:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025 दिनांक 04/08/2025 के क्रम संख्या 10 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPBL/01, दिनांक 11/08/2025 द्वारा प्रदान की गई सूचना अनुसार दिनांक 31.03.2025 तक हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई गगरेट को सीमेंट के क्रय हेतू **निम्नानुसार ₹38590** का अग्रिम प्रदान किया गया था, लेकिन दिनांक 31.03.25 तक उक्त राशि का समायोजन नहीं हुआ | अतः हिमाचल प्रदेश सिविल सप्लाई गगरेट से उक्त असमायोजित राशि को समायोजित करके अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए |

शीर्ष का नाम	बिल संख्या व दिनांक	फर्म का नाम एवं पता जिसे अग्रिम जारी किया गया	सामान का विवरण	अग्रिम राशि (₹)	दिनांक 31/03/25 तक समायोजित राशि (₹)	दिनांक 31/03/25 तक समायोजन हेतु शेष राशि (₹)
SDP	92117 01.03.25	HP CIVIL SUPPLY GAGRET	CEMENT	38590	0	38590

12 विहित रजिस्टरों का रख-रखाव न करना:-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 441/2025 दिनांक 04/08/2025 द्वारा पंचायत सचिव से निम्न रजिस्टरों / अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत करने की मांग की, जिसे हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के अंतर्गत बनाया जाना वांछित था । प्रतिउत्तर में सचिव, द्वारा अपने पत्र संख्या GPBL/02, दिनांक 11/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि पंचायत द्वारा इन रजिस्टरों / अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया जा

रहा है। यह अनियमित व आपत्तिजनक है | अतः नियमानुसार इन अभिलेखों व रजिस्टरों का रख-रखाव किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

क्रम संख्या	रजिस्टर / अभिलेख	फार्म संख्या	संदर्भित नियम
1	अस्थाई अग्रिम रजिस्टर	9	30
2	विभिन्न अनुदानों के लेजर खाते	7	29(1)
3	गृहकर मांग एवं प्राप्ति रजिस्टर	10	33 व 77(4)
4	बजट प्राकलन	11	37
5	अनुदान रजिस्टर	21	61(1)
6	डाक टिकट रजिस्टर	24	61(1)
7	स्थाई एवं अस्थाई भण्डार रजिस्टर	25 व 26	72(1)
8	निर्माण कार्यों की तकनीकी स्वीकृति का रजिस्टर	31	95(1)
9	बैंक समाधान विवरणी	--	7 (3) व 10 (1)
10	निर्माण कार्यों का रजिस्टर	--	103
11	बिल रजिस्टर	13	48
12	रसीद बुकों का स्टॉक रजिस्टर	4	5(5)

13 प्रत्यक्ष सत्यापनः-

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 440/2025, दिनांक 04/08/2025 के क्रम संख्या 7 की अनुपालना में अपने पत्र संख्या GPBL/01, दिनांक 11/08/2025 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि अंकेक्षण अवधि 04/24 से 03/25 तक स्टोर / स्टॉक का भौतिक सत्यापन ग्राम पंचायत द्वारा नहीं करवाया गया है, जबकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अंतर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है | अतः इस सन्दर्भ में आपको परामर्श दिया जाता है कि अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14 **लघु आपत्ति विवरणिका:-** इसे अलग से जारी नहीं किया गया है।

15 **निष्कर्ष:-** लेखों में सुधार की आवश्यकता है।

(कृष्ण लाल नेगी) 07.11.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009
दूरभाष–0177–2626670

का0/डा0 6926-6930 10 NOV 2025

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(5)77/2022–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी ऊना, जिला ऊना, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

10 NOV 2025

का0/डा0

(कृष्ण लाल नेगी) 07.11.25
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

परिशिष्ट "क"　　　　पैरा संख्या 4.1 (क) में संदर्भित

ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक की संकलित वित्तीय स्थिति (1+2)

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	5652700.6	5564813.14	11217513.74	6553256.44	4664257.3

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भंजाल लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

24

- 22 -

ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट व जिला ऊना हिमाचल प्रदेश

1) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग सहित (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	5652700.6	3648137	9300837.6	4636580.3	4664257.3

1 (a) स्वयं स्त्रोत व अनुदान 15वां वित्तायोग के अतिरिक्त (समेकित) Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

1	2	3	4	5	6	7
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	2184775.3	1183942	3368717.3	1889893.3	1478824

1 (b) 15वां वित्तायोग Online की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक

क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	3467925.3	2464195	5932120.3	2746687	3185433.3

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भंजाल लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

— 23 - 25

2) मनरेगा (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	1690176.14	1690176.14	1690176.14	0

3) स्वच्छ भारत मिशन (PFMS) (Online) की वित्तीय स्थिति दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक						
क्रम संख्या	वर्ष	प्रारम्भिक शेष	आय ब्याज सहित	कुल योग(3+4)	व्यय	अंतिम शेष(5-6)
1	2024-25	0	226500	226500	226500	0

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible],
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

25-26

1)	दिनांक 31.03.2025 को रोकड़ बही खाता पैरा 4.1 (क) का अंतशेष	4664257.30
2)	दिनांक 31.03.2025 को बैंक का अन्तशेष **(परिशिष्ट क-1)**	**4646785.30**
3)	दिनांक 31.03.2025 को हस्तगत राशि	0.00
4)	**योग (2+3)**	**4646785.30**
5)	**अन्तर (1-4)**	**17472.00**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible]र,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट क-1 पैरा संख्या 4.1 (क) के सन्दर्भ में

दिनांक 31.03.25 को बैंक शेष व हस्तगत राशि का अंतशेष का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि (₹)
1	KCCB MUBARIKPUR (OWN & GIA)	20128003021	1460770.30
	KCCB MUBARIKPUR (12th fc)	20128003214	515.00
	HDFC GAGRET 14TH FC	50100298298189	3.00
	HDFC GAGRET (SBM)	50100501001980	46.00
	HDFC GAGRET 15TH FC	50100340115530	3185451.00
		योग	**4646785.30**
2		**हस्तगत राशि (स्वः स्त्रोत व अनुदान)**	0.00
		योग (1+2)	**4646785.30**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भंजाल लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट "ख"

पैरा संख्या 7.1 में संदर्भित

ग्राम पंचायत भंजाल लोअर, विकास खण्ड गगरेट, जिला ऊना हि.प्र.

दिनांक 01.04.2024 से 31.03.2025 तक गृहकर की वसूली हेतु शेष राशि का विवरण :-

वर्ष	प्रारम्भिक शेष (₹)	मांग (₹)	योग (₹)	प्राप्ति (₹)	वसूली हेतू शेष राशि (₹)
2024-25	238890	65400	304290	250400	53890

नोट :-- ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक गृहकर से सम्बन्धित कोई भी अभिलेख तैयार नहीं किया गया था, जिससे प्रारम्भिक शेष के सही होने की पुष्टि अंकेक्षण दौरान सम्भव नहीं हो पाई है।

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भंजाल लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

परिशिष्ट 'ग'   पैरा संख्या 7.2 के सन्दर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में विवाह पंजीकरण शुल्क के रूप में वसूली गई राशि का विवरण

क्रम संख्या	नाम	विवाह की तिथि	पंजीकरण की तिथि	रसीद संख्या	वसूली योग्य राशि	वसूली गई राशि	कम वसूली गई राशि
1.	मनदीप चौधरी	18.04.24	07.05.24	778759	200	200	0
2.	अखिल पटियाल	18.04.24	07.05.24	778760	200	200	0
3.	ओम प्रकाश	26.05.24	03.06.24	778762	400	400	0
4.	सौरभ पलयाल	11.10.24	28.10.24	107346	200	200	0
5	कुशल कुमार	05.10.24	28.10.24	107348	200	200	0
6.	शिवरतन	11.10.24	30.10.24	107349	200	200	0
7.	शिवा डडवाल	11.10.24	11.11.24	107350	400	400	0
8	सौरभ कुमार	11.12.24	18.12.24	107351	200	200	0
9	पंकज कुमार	25.10.24	18.12.24	107353	400	400	0
10	रजत कुमार	28.10.24	31.12 .24	107354	400	400	0
11	विनय कुमार	10.11.24	09.01.25	107361	400	400	0
12	राहुल चौधरी	11.12.24	06.02.25	107362	400	400	0
13	गुरवचन सिंह	21.01.25	14.02.25	107363	200	200	0
14	कमलजीत सिंह	24.01.25	17.02.25	107364	200	200	0
15	गौरव भारद्वाज	24.01.25	17.02.25	107365	200	200	0
16	संदीप भारद्वाज	19.01.25	17.02.25	107366	200	200	0
17	जसविंदर कुमार	15.02.25	25.02.25	107368	200	200	0
18	मनोज कौंडल	15.02.25	01.03.25	107369	200	200	0

-30-

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत [illegible] लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

19	गोविन्द सिंह	06.03.25	27.03.25	107370	200	200	0
20	रविन्दर कुमार	20.02.25	29.03.25	107371	400	400	0
				योग	**5400**	**5400**	**0**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भंजाल लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

31

परिशिष्ट 'ख' पैरा संख्या 9.4 के सन्दर्भ में

वित्तीय वर्ष 2024-25 में M/S Nainika Stone Crusher VPO Kadh को रेत, बजरी इत्यादि के क्रय हेतु किए गये भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोड़कर)
1.	15th fc	P/17	3699	12/04/24	7486.50
2.	15th fc	P/23	4254	08/07/24	24935
3.	15th fc	P/24	4258	08/07/24	23354
4.	15th fc	P/42	4478	18/08/24	38777
5.	15th fc	P/54	4591	04/09/24	1266
6.	15th fc	P/58	4592	04/09/24	1266
7.	15th fc	P/77	5433	21/10/24	23388
8.	15th fc	P/106	5583	10/01/25	28068
9.	15th fc	P/106	5582	10/01/25	28068
10	15th fc	P/113	5845	16/12/24	11713
11	15th fc	P/126	6058	15/02/25	31806
12	SDP	121	6057	16/03/25	37825
13	RELIEF	34	4662	1/09/24	4590
14	SF	84	5441	2/11/24	22121
15	SF	90	5479	15/11/24	42567
16	SF	96	5588	10/01/25	34777
17	SF	102	5727	01/02/25	20093
18	SBM	04	3696	12/01/24	10763
19	SBM	04	3704	12/01/24	10763
				योग	**403626.5**

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भंजाल लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

32

वित्तीय वर्ष 2024-25 में ARUN KUMAR WELDING WORKS भंजाल को बेंच, वेल्डिंग वर्क्स इत्यादि के क्रय हेतु किए गये भुगतान का विवरण

क्रम संख्या	शीर्ष का नाम	वाउचर संख्या	बिल संख्या	दिनांक	राशि (GST को छोड़कर)
1.	ZP	P/2	135	10/03/24	15000
2.	SF	P/62	140	1/01/25	7700
3.	SF	P/73	142,143,144	14/02/25	70973
4.	15th FC	15th FC / 61	129,130,131,132,133,134,136,139	1/11/24	308959
				योग	**402632**

(403626.5 + 402632) = ₹806258.5

पंचायत सचिव
ग्राम पंचायत भंजाल लोअर,
विकास खण्ड गगरेट, जि. ऊना (हि.प्र.)

33